

वादीगण



वादीगण



वाद जरिये राजीनामा के विज्ञो करने का नियमन किया है।
वादीगण वकील की सहस है कि उक्त वाद में वादावली
मध्य गांव के मीजिज व्यक्तियों एवं आपसी समझौते में प्रकीर्ण
हो गया है। अतः लोकहित की भावना से प्रीति काका प्र कीर्ण
और से प्रस्तुत उक्त वाद को विज्ञो करना चाहते है। प्र कीर्ण
प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए वाद जरिये राजीनामा के विज्ञो
किया जाये।

हमने वादीगण वकील के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में संकेत
तथ्यों पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अदालत
किया गया, चूंकि पक्षकारान के मध्य आपसी समझौते एवं
लोकभावना से प्रेरित होकर राजीनामा किया जाकर उक्त वाद को
जरिये विज्ञो खारिज करवाना चाहते है, ऐसी स्थिति में लोकभावना
को दृष्टिगत वादीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया
जाना अदालत उचित समझती है।

अतः वादीगण वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार
करते हुए उक्त वाद इसी स्तर पर जरिये राजीनामा विज्ञो के खारिज
किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ़तर एवं नम्बर से कम
हो।